(49)

# अनापत्ति प्रमाण–पत्र

पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत , परगना मजिस्ट्रेट, बीसलपुर , उपनिदेशक, फायर सर्विस, बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र,बरेली, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 ,लो0नि0विभाग, पीलीभीत, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, पीलीभीत से प्राप्त अनापत्ति/संस्तुतियों के आधार पर सीनियर डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली को ग्राम ईटगॉव थाना बिलसण्डा तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत स्थित गाटा संख्या 821 MIN पर संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन किसान सेवा केन्द्र (रिटेल आउटलेट) स्थापित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

## शर्ते

1– प्रश्नगत निर्माणधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी राजमार्ग के मध्य से 110 फिट रखना अनिवार्य होगा।

2– सम्पर्क मार्ग एंव गलियों से निर्माणधीन रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी मार्ग के मध्य से 10 मीटर रखना अनिवार्य होगा।

3– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन की चौडाई रास्ते या सडक की ओर स्थित हो तो निर्माणाधीन भवन के सम्पूर्ण भाग में कम से कम 4 फिट जगह छोड़नी अनिवार्य होगी।

4– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन का निर्माण कराते समय निर्माणकर्ता को शौचगृह एवं स्वास्थ्य सेवाएं रखनी होगीं । शौचग्रह खुले नही होगें व साफ–सफाई की पूर्ण व्यवस्था के साथ सुरक्षा की दृष्टि से रेत के बोरे भी रखने आवश्यक होगें।

5– निर्माणाधीन रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के भवन की कुर्सी पास की गली व सडक की तरफ से एक फिट ऊॅची रखनी आवश्यक होगी ।

6– प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम रुल्स–1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रुल्स तथा रिटेल आउटलेट विषयक समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुरुप किये जायेगें ।

7– प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाइटेंशन या लोटेंशन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।

8– प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोलियम पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जाएगा ।

9– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थो या स्थितियां आदि जो चिंगारी /आग उत्पन्न करते हों ,का प्रयोग बर्जित होगा तथा इसके सम्बन्ध में समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायेगें ।

10– प्रस्तावित स्थल पर धूम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक तथा आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नम्बर की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

11– प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ0आई0एस0डी0स्टैण्डर्ड, पैट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरुप की जायेगी।

12– प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरुप निर्माण कराये जाने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त ही रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु अग्निशमन सुरक्षाओं का निर्देश निर्गत किये जायेगें जिन्हें पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

13– प्रस्तावित किसान सेवा केन्द्र (रिटेल आउटलेट) बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग किमी0 5.924 से 5.959 के मध्य बांयी पटरी पर स्थित गाटा संख्या 821 MIN ग्राम ईटगॉव तहसील बीसलपुर में स्थापित किया जाना है। उक्त मार्ग की पटरियॉ संरक्षित वन के अन्तर्गत विज्ञापित है। इस संरक्षित वन क्षेत्र में कुल 1056.771 वर्ग मीटर भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित है जिसमें एक वृक्ष प्रभावित होगें । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की स्वीकृत एवं भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार की शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा ।

14— उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

दिनांकः नवम्बर 29 ,2016

(मासूम अली सरवर)
जिला मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

तद्‌दिनांक।

पत्रांकः 633 /शस्त्र लिपिक—2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत ।
2— परगना मजिस्ट्रेट, बीसलपुर ।
3— उपनिदेशक, फायर सर्विस, बरेली परिक्षेत्र,बरेली।
4— अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड—1, लो0नि0,विभाग, पीलीभीत ।
5— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, पीलीभीत ।
6— अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत, पीलीभीत।
7— सीनियर डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, 82, प्रेमनगर बरेली (उ0प्र0) को संलग्न मानचित्र सहित प्रेषित ।

(मासूम अली सरवर)
जिला मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।

Office of The District Magistrate * PILIBHIT (U.P.) *